न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/24/2022	25–04–2022	11–01–2023

01– बहादुर पुत्र नानूराम जाति अहीर निवासी ग्राम ढाणी कुरियान तहसील बानसूर जिला अलवर (राजस्थान)

–अपीलाण्ट

बनाम

01– राजपाल पुत्र गिरधारी जाति मेधवाल निवासी टोडिया का बास तहसील बानसूर हाल अरावली विहार बानसूर जिला अलवर (राजस्थान)

02–नानूराम पुत्र प्रभाती जाति अहीर,

03–लाली पत्नी नानूराम जाति अहीर निवासी ग्राम ढाणी कुरियान तहसील बानसूर जिला अलवर (राजस्थान)

04–मंजू पत्नी बहादुर जाति अहीर निवासी ग्राम ढाणी कुरियान तहसील बानसूर जिला अलवर (राजस्थान)

–रेस्पौडेन्ट

अपील निर्णय विरूद्ध दिनाक 12.04.2022 तहसीलदार बानसूर मुकदमा संख्या 04/2021 बअनुवान राजपाल बनाम बदादुर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

01–श्री राजेश कुमार गुप्ता – वकील अपीलाण्ट
02–श्री अनिल गुप्ता – वकील उसल रेस्पो0 सं0 1
03–श्री दीपक मीना – राजकीय अभिभाषक

–:निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार बानसूर के निर्णय दिनांक 12.04.2022 प्रकरण संख्या 04/2021 में वर्णित आराजीयात से अप्रार्थीगण का नाजायज कब्जा हटवाया जाकर प्रार्थी को दखल दिलाये जाने के आदेश से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

उभय पक्ष विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गयी विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि रेस्पोडेन्ट ने विवादित आराजी जरिये रजिस्टर्ड बयनामा से खरीद की थी लेकिन उस वक्त खरीद से ही प्रार्थी का किसी हिस्से पर कोई कब्जा नही रहा है। अपीलान्ट ने ही उक्त आराजी को समतल करवाकर काफी लागत लगाकर काबिले काश्त किया था तथा चारो तरफ बाउण्ड्री जाल लगाकर आवारा पशुओ से फसल की सुरक्षा हेतु स्वंय की लागत से लगाया था। और इस

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/24/2022	25–04–2022	11–01–2023

01– बहादुर पुत्र नानूराम जाति अहीर निवासी ग्राम ढाणी कुरियान तहसील बानसूर जिला अलवर (राजस्थान)

–अपीलाण्ट

बनाम

01– राजपाल पुत्र गिरधारी जाति मेधवाल निवासी टोडिया का बास तहसील बानसूर हाल अरावली विहार बानसूर जिला अलवर (राजस्थान)

02–नानूराम पुत्र प्रभाती जाति अहीर,

03–लाली पत्नी नानूराम जाति अहीर निवासी ग्राम ढाणी कुरियान तहसील बानसूर जिला अलवर (राजस्थान)

04–मंजू पत्नी बहादुर जाति अहीर निवासी ग्राम ढाणी कुरियान तहसील बानसूर जिला अलवर (राजस्थान)

–रेस्पौडेन्ट

अपील निर्णय विरूद्ध दिनाक 12.04.2022 तहसीलदार बानसूर मुकदमा संख्या 04/2021 बअनुवान राजपाल बनाम बदादुर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

01–श्री राजेश कुमार गुप्ता – वकील अपीलाण्ट
02–श्री अनिल गुप्ता – वकील उसल रेस्पो0 सं0 1
03–श्री दीपक मीना – राजकीय अभिभाषक

–:निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार बानसूर के निर्णय दिनांक 12.04.2022 प्रकरण संख्या 04/2021 में वर्णित आराजीयात से अप्रार्थीगण का नाजायज कब्जा हटवाया जाकर प्रार्थी को दखल दिलाये जाने के आदेश से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

उभय पक्ष विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गयी विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि रेस्पोडेन्ट ने विवादित आराजी जरिये रजिस्टर्ड बयनामा से खरीद की थी लेकिन उस वक्त खरीद से ही प्रार्थी का किसी हिस्से पर कोई कब्जा नही रहा है। अपीलान्ट ने ही उक्त आराजी को समतल करवाकर काफी लागत लगाकर काबिले काश्त किया था तथा चारो तरफ बाउण्ड्री जाल लगाकर आवारा पशुओ से फसल की सुरक्षा हेतु स्वंय की लागत से लगाया था। और इस

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

आराजी में बोर करवाकर पाईप दबाकर काबिले काश्त किया था। रेस्पोडेन्ट दिल्ली रहता है, जिसने आज तक विवादित आराजी का आकर नही देखा है। विवादित आराजी को अपीलान्ट ने ही काबिले काश्त किया है, जिसमें अपीलान्ट की लागत लगभग 15 लाख रूपये लगा रखी है। रेंस्पोडेन्ट राजपाल द्वारा ही उसकी सहमति से विवादित आराजी की देख रेख करने के लिए संभला रखा था, जिसके संबंध में पूर्व में रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनाक 12.10.2020 को एक प्रार्थना पत्र पेश कर पडौसी काश्तकार बनवारी, जलेसिंह, सीताराम वगै0 के खिलाफ मुकामी पुलिस बानसूर में विवादित आराजी में उनके द्वारा नुकसान करने पर मुकदमा दर्ज करवा दिया था। जिसमें भी अपीलान्ट द्वारा काश्त करने सार संभाल करने के संबंध में शिकायतकर्ता राजपाल द्वारा लिखा गया था। इस प्रकार विवादित आराजी पर आज दिन भी रेस्पोडेन्ट की सहमति से बोयी गई फसल बाजरा मौके पर खडी है, तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 का विवादित आराजी से कोई लेना देना नही है, और आज दिनाक तक विवादित आराजी सम्पूर्ण का एक चक बना हुआ है। दोनो पक्षो को सुनने के वाद तहत अदालत द्वारा दिनाक 12.04.2022 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वणित आराजीयात से प्रतिवादीगण का नाजायज कब्जा हटवाया जाकर प्रार्थी को दखल दिलाये जाने हेतु आदेश पारित किया गया है। तहत अदालत ने मिन अपीलान्ट द्वारा पेश जवाव प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजात पर समुचित गौर नही किया गया और मनमाफिक रूप से आलोच्य आदेश पारित किया गया है, अपीलान्ट के द्वारा मातहत अदालत में असल रेस्पोडेन्ट द्वारा पुलिस थाना बानसूर को दिया गया एक शिकायती पत्र पेश किया गया था जिसमे यह इबारत दर्ज की गयी थी कि उसने अपीलान्ट उक्त आराजी वंटाई पर दे रखी है, और वह स्वंय बाहर रहता है। जिस पर तहत अदालत ने समुचित गौर नही किया गया जिस कारण से आलोच्य आदेश निरस्त किया जावे। धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानो के अनुसार उन्ही व्यक्तियो के विरूद्व वेदखली का आदेश पारित किया जाता है, कि अनुसूचित जाति के सदस्य की भूमि पर जवरन कब्जा करते है, अतिकमण करता है। परन्तु मातहत अदालत के समक्ष प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य नही था जिस कारण से रेस्पोडेन्ट द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य था। बटाई पर लेन के पश्चात मिन अपीलान्ट के द्वारा निजी लागत लगाकर काबिल काश्त बनाया गया है, रेस्पोडेन्ट के मन में बदयान्ति बेईमानी आ जाने के उपरान्त गलत व मिथ्या तथ्यो पर मातहत अदालत में प्रार्थना पत्र 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया गया है। अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर तहत अदालत द्वारा पारित आदेश दिनाक 12.04.2022 निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक असल रेस्पोडेन्ट ने अपील में वर्णित तथ्यो को नकारते हुए निवेदन किया है, कि तहत अदालत के सक्षम एक राजस्व प्रार्थना पत्र बअनुवान राजपाल बनाम बहादुर व अन्य अन्तर्गत धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया गया था, जिस पर तहत अदालत अदालत द्वारा विधिवत जॉच कर नियमानुसार निर्णय दिनाक 12.04.2022 पारित कर प्रार्थी की आराजीयात पर किये अवैध कब्जे के विरूद्व अप्रार्थीयान का मौके से बेदखल किये जाने हेतु निर्णय पारित किया गया है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित है, अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यो को नकारते हुए निवेदन किया है, कि तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित प्रकियानुसार है, किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। तहत अदालत की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है, कि राजपाल पुत्र गिरधारी जाति मेधवाल निवासी टोडियाकाबा तहसील बानसूर द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर आराजी खसरा न0 623 रकबा 0.63 है0, 621

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

रकबा 0.55 है0, 622 रकबा 0.63 है0 वाके ग्राम टोडियाकाबास तहसील बानसूर की आराजी पर अप्रार्थीगण द्वारा नाजायज कब्जा कर लिया है, जिससे हटवाया जाकर नियमानुसार कब्जा दिलाये जाने हेतु पेश किया गया। प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किया गया एंव रिपोर्ट पटवारी हल्का से जरिये पत्रांक 147 दिनांक 16.08.2021 को पत्र जारी किया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनाक 08.09.2021 के द्वारा अवगत कराया है, कि मुताबिक जमाबंदी आराजी खसरा न0 621 रकबा 0.55 राजपाल पुत्र गिरधारी पूर्ण हिस्सा, 622 रकबा 0.63 हिस्सा 1/2 राजपाल पुत्र गिरधारी एवं आराजी खसरा न0 623 रकबा 0.63 पूर्ण हिस्सा राजपाल पुत्र गिरधारी जाति मेधवाल के नाम दर्ज रिकॉड है। आराजी खसरा न0 621 रकबा 0.55 हिस्सा पूर्ण एव ख0 न0 623 रकबा 0.63 हिस्सा पूर्ण रहिन एस.बी.आई शाखा बानसूर के नाम रहन है। मौके पर पडोसी काश्तकारो ने बताया कि फसल खरीफ में बाजरा की बुआई बहादुर पुत्र नानूराम जाति अहीर निवासी टोडियाकाबास द्वारा की गयी है। मुताबिक जॉच रिपोर्ट के सिद्व है, कि उक्त आराजीयात रेस्पोडेन्ट की खरीदशुदा आराजी है, जिस पर अपीलान्ट बहादुर द्वारा अनाधिकृत कब्जा किया गया है। अपील में अपीलान्ट द्वारा भी स्वयं स्वीकार किया गया है, कि विवादित आराजी राजपाल द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बयनामा से खरीद की थी लेकिन उस वक्त खरीद से ही राजपाल का किसी हिस्से पर कोई कब्जा नही रहा है। अपीलान्ट द्वारा स्वयं ही स्वीकार किया गया है, कि वर्णित आराजीयात पर अपीलान्ट का कब्जा है, जिससे स्पष्ट है, कि रेस्पोडेन्ट राजपाल की आराजी पर अपीलान्ट द्वारा अनाधिकृत कब्जा किया गया है, तहत अदालत द्वारा प्रकरण में विधिवत जॉच कर विधिसम्मत निर्णय दिनाक 12.04.2022 पारित किया गया है, पारित निर्णय न्यायोचित है। अपील अपीलान्ट अस्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है, तहत अदालत तहसीलदार बानसूर द्वारा पारित आदेश दिनाक 12.04.2022 यथावत रखा जाता है, निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ वापिस भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 11.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उत्तम सिंह शेखावत)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)